न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
25/22	एफएसएसएस एक्ट, 2006	06/12/2022

वीरेन्द्र कुमार सिंह ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

श्री मदनमोहन गुप्ता (विकेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स रमेश चन्द्र सुरेश चन्द्र पुरानी नगर पालिका के पास बद्रीनाथ बाजार गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर निवासी वैध कॉलोनी गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11/12/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 27.07.2022 को सायः 04:00 पी.एम.पर मैसर्स रमेश चन्द्र सुरेश चन्द्र पुरानी नगर पालिका के पास, बद्रीनाथ बाजार गंगापुर सिटी पर पहुंचा एवं संस्थान का निरक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु घीं (खुला) एवं विभिन्न कम्पनीयों के ब्राण्ड एवं रिफाईण्ड पाम ऑयल को घी के साथ रखकर बेचा जा रहा था। एक खुले टिन में रखें घी लगभग 15 किलों में मिलावट का अंदेशा होने पर 1 किलो घी (लूज) खरीदा उसकी कीमत 220/– रू0 विकेता श्री मदनमोहन गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान शिव कुमार शर्मा व चन्द्रभान गुप्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां जिसे श्री मदनमोहन गुप्ता ने भी पढकर , समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5 ए की प्रति एक विकेता को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलो घी (लूज) को विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (लूज) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2370 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2370 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार [illegible] प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व [illegible]र आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर [illegible] ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक कार्यालय में पहूँचकर फर्म [illegible] की ओर प्रत्येक पर नमूना [illegible] लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 [illegible] प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:25 IST
Reason: Self-Attested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई [माध]ोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2022/12 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य [विश्]लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2504/एक्ट/2022/2546 दिनांक 08.08.[20]22 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड एवं [को]न्ट्रावेन प्रकृति का होना पाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [अ]भियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों [क]ी बहस सुनी गई।

वकील अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण ने उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की है। उक्त प्रकरण की सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई है तो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री विरेन्द्र कुमार सिंह एल0टी0 लैब टैक्नीशियन पद पर है। जिसे सेम्पलिंग की कार्यवाही करने का कानूनन अधिकार नहीं है, ना ही उक्त आवेदक द्वारा कार्यवाही करने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग ली गई है। इस प्रकार आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गई है, साथ ही वकील अभियुक्त ने प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2504/एक्ट/2022/2546 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विकेता द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन प्रकृति का खाद्य पदार्थ घी (लूज) का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को 40000 (चालीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:25 IST
Reason: SelfAttested